कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर म0प्र0

//सीमित निविदा सूचना//

क्र. 505 दो–12–18/21 सागर दि. 10.06.22

निविदा जारी करने की दिनांक 10.06.2022

न्यायिक स्थापना सागर हेतु वित्त वर्ष 2022–23 में जिला न्यायालय सागर में स्थापित कंपनी न्यूमेरिक मॉडल–डिजिटल एच.पी. मैक्स सीरिज क्षमता–5 के.व्ही.ए. यू.पी.एस. हेतु कुल–20 नग बैटरी स्थानीय रजिस्टर्ड फर्मो से क्रय किया जाना है।

अतः उपरोक्त सामग्री क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 की कंडिका 11.1.2 के पालन में स्थानीय पंजीकृत संस्थाओं/फर्मों से शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संस्थान दिनांक 25.06.2022 के सायं 05:00 बजे तक निविदा बंद लिफाफे में कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर मध्यप्रदेश के नाम से स्वयं उपस्थित होकर अथवा ई–मेल आई.डी. dcourtsag-mp@nic.in के माध्यम से निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त **बैटरी (स्पेशिफिकेशन 65 ए.एच./12 वोल्ट/ एस.एम.एफ. कंपनी क्वांटा 02 वर्ष की ऑनसाईट वारंटी सहित)** (पुरानी बैटरियों के बायबेक सहित) के क्रय मूल्य के साथ जी.एस.टी. का पृथक से उल्लेख निविदा में किया जाना आवश्यक है, साथ ही यदि संभव तो केटलॉग भी निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

10.6.22

वास्ते– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर म0प्र0

//निविदा शर्तें//

क्रं. दो–12–18/21 सागर दि. .06.22

1. फर्म का वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति तथा आयकर रिटर्न की प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जावेगी।
2. सभी प्रकार के करो व क्रय मूल्य का खुलासा तथा सकल योग स्पष्ट रूप से निविदा में किया जावे।
3. क्रय की गई सामग्री की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन जिला मुख्यालय सागर में किया जावेगा। जिला मुख्यालय में आपूर्ति किये जाने संबंधी कोई परिवहन व्यय (भाड़ा) नहीं दिया जावेगा।
4. क्रय की गई सामग्री को 02 वर्ष की वारंटी पीरियड सहित मरम्मत कार्य मौके पर (ऑनसाईट जिला न्यायालय सागर) में जाकर संबंधित फर्म द्वारा किया जावेगा।
5. सामग्री इस्टॅालेशन उपरांत ही बिल ग्राह्य किया जावेगा।
6. मांग का आदेश करने से एक सप्ताह के अंदर सामग्री की प्रदायगी व इंस्टॅालेशन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा क्रय की सामग्री के लिये मांग का आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
7. नियंत्राधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे।
8. प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।
9. उपरोक्त सामग्री के क्रय की संख्या कम किये जाने अथवा बढाये जाने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर को होगा।
10. क्रय की जाने वाली सामग्री प्रदायगी उपरांत विभागीय क्रय समिति द्वारा निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने पर प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही देयक के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा क्रय की गई सामग्री अमानक पाये जाने पर मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापस की जावेगी।
11. जो फर्म मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में पंजीकृत प्रदायकर्ता के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें पंजीयन संबंधी प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

संलग्नः– निविदा फार्म।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर (म.प्र.)

कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर म0प्र0

Phone No. 07582-292995 Email Id:- dcourtsag-mp@nic.in

:: निविदा आवेदन पत्र ::

01	विक्रेता/व्यापरी/निर्माता संस्था का नाम एवं पता	
02	दूरभाष नंबर/मोबाईल नंबर	
03	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था के मालिक का नाम	
04	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का पंजी/जी.एस.टी. क्रमांक	
05	क्या विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था सागर की अधिकृत संस्था है ? यदि हॉ तो विवरण दें।	
06	यदि अधिकृत विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था हो तो प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।	
07	क्या शासन ने विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था को सामग्री प्रदान किये जाने हेतु अयोग्य घोषित किया गया है ? यदि हॉ तो विवरण दें।	
08	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का बैंक का नाम/खाता क्रमांक मय आईएफएससी कोड सहित	

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर